177

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2012 निगरानी - 896-II/12

खिलान पुत्र लखन यादव
निवासीग्राम मड़ियादो तहसील हटा जिला
दमोह (म.प्र.)

.... आवेदक

मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 10.4.12 को प्रस्तुत
10.4.12
कार्यालय ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. उमा प्रसाद पुत्र गयाप्रसाद बाढई
निवासी ग्राम मड़ियादो तहसील हटा
जिला दमोह (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन ..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
10-4-12 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार (वृत्त मदियादो) तहसील हटा द्वारा प्र.कं. 55/अ-12/10-11 में पारित आदेश दिनांक 9.2.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–896–दो / 2012 जिला–दमोह

खिलान यादव विरूद्ध उमाप्रसाद व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–02–2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार(वृत्त मदियादो) तहसील हटा, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 55 / अ–12 / 2010–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 09–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जिला–शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 22–4–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य	